(90)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 2529–एक/2016 निगरानी – विरूद्ध– आदेश दिनांक 2-4–2016 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण क्रमांक 362 अ–6/2012–13 अपील

रामनाथ पाण्डे पिता रामगोपाल पाण्डे
2707 पॅजाब बैंक कालोनी चौरीताल
तहसील व जिला जबलपुर मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन
2– राजकुमार जैन पुत्र स्व.मन्नूलाल जैन
कमानिया गेट पनागर जबलपुर म0प्र0 ———अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0एस0कुशवाह)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 3 – 4 –2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 362/2012–13 अ–6 अपील में पारित आदेश दिनांक 2–4–2016 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार पनागर को आवेदन देकर मांग की कि ग्राम रिमझा पटवारी हलका नंबर 23 के रकबा 0.02 हैक्टर को जगदीश नारायण पुत्र छोटेलाल विश्वकर्मा से दिनांक 23–11–98 को क्रय किया है जिस पर पटवारी में वर्ष 2001–02 से 2004 तक खसरा नंबर 100 रकबा 0.02 पर उसका नाम दर्ज रहा है ,

परन्तु खसरा वर्ष 2004-05 में इस भूमि पर राजकुमार बल्द मन्नूलाल जैन का नाम तहसील जबलपुर वृत्त महाराजपुर के प्रकरण क्रमांक 9 अ-5/01-02 के आदेश दिनांक 16-1-04 के अनुसार दर्ज कर दिया गया जिसकी कोई सूचना नहीं दी गई। मौके पर ग्राम रिमझा के खसरा नंबर 99 पर मेरा मकान एंव गोदाम 7-8 साल पुरानी बनी है जिस पर मेरा कब्जा लगातार खरीद के समय से है विशिष्ट जांच कर ग्राम रिमझा के खसरा नंबर 99 से किस तरह मेरा नाम हटा है अभिलेख में प्रविष्टि संधारण कराई जाय। तहसीलदार पनागर ने जांच कर तदाशय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर को भेजा । अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 5 अ 6 अ/11-12 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 30-6-12 पारित किया एंव आवेदक का आवेदन पत्र खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 362/2012-13 अ-6 अपील ने पारित आदेश दिनांक 2-4-2016 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ तर्को के दौरान आवेदक के अभिभाषक ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया है जो निगरानी मेमो में अंकित हैं। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के जांच प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक ने तहसीलदार पनागर के समक्ष आवेदन देकर मांग रखी है कि ग्राम रिमझा पटवारी हलका नंबर 23 की भूमि सर्वे नंबर 99 रकबा 0.02 हैक्टर को जगदीश नारायण पुत्र छोटेलाल विश्वकर्मा से दिनांक 23-11-98 को क्रय की है जिस पर पटवारी रिकार्ड में वर्ष 2001-02 से 2004 तक के रकबा 0.02 पर उसका नाम दर्ज रहा है परन्तु खसरा वर्ष 2004-05 में

इस भूमि पर राजकुमार बल्द मन्नूलाल जैन का नाम अंकित किया गया है। तहसीलदार ने इस पर जॉच करते हुये मामला संहिता की धारा 89 का मानकर प्रथम जांच प्रतिवेदन दिनांक 7–1–2012 अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर को अग्रेषित किया है जिसका अंश उद्धरण इस प्रकार है :–

> **रामनाथ पांडे पिता रामगोपाल पांडे सा. चेरीताल ने जगदीश नारायण पिता छोटेलाल सा. चेरीताल जबलपुर से 31,000/–रू. में दिनांक 23–11–1998 को खरीदा है रामनारायण पांडे ने 30x105=3150 फुट भूमि क्रय किया है लेकिन रजिस्ट्री में खसरा नं. में त्रृटिवश टूट गया है जो कि रजिस्ट्री में अंकित नहीं है। अतः खसरा नं. 99 पर रामनाथ पाण्डे पिता रामगोपाल का नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।**

जब तहसीलदार स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी की ओर भेज रहे हैं तब यह जांच का विषय रहा है कि विक्रय पत्र दिनांक 23–11–1998 में क्रय की गई भूमि की जो चतुर्सीमा दर्शाई गई है वह कौनसे खसरा नंबर की भूमि है , तहसीलदार ने अथवा अनुविभागीय अधिकारी ने इसकी जांच करना मुनासिव नहीं समझा है। इस प्रकार तहसीलदार की अपूर्ण जांच पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश आधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है एंव अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने आदेश दिनांक 2–4–2016 पारित करते इनत थ्यों पर ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ तहसीलदार पनागर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 7–1–12 एंव पुर्नजांच प्रतिवेदन दिनांक 15–6–12 के अवलोकन से पाया गया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में संहिता की धारा 89 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर की ओर भेजे गये यह जांच प्रतिवेदन हैं जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 89 में विहित टिप्पणी (आ. शक्तियां प्रदत्त) एक – समस्त तहसीलदारों को धारा 24 के अंतर्गत टिप्पणी इ (7) अनुसार दी गई है –

धारा 24 इ 7 :– म0प्र0राजपत्र दिनांक 29 नवम्बर 1963 में प्रकाशित अधिसूचना कमांक 5361–सी–आर–449–सात–ना (नियम) दिनांक 29 नवम्बर 1963 व्दारा जिन समस्त नायव तहसीलदारों को तहसीलदार की शक्तियॉ प्रदान की गई है वे उनके संबंधित क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत अपर तहसीलदार होंगे।

उपरोक्त से पाया गया कि तहसीलदार धारा 89 के अंतर्गत विचारण न्यायालय की हैसियत से कार्यवाही हेतु अधिकृत हैं इसके वाद भी तहसीदार पनागर ने स्वस्तर से सुनवाई न करते हुये मामला अनुविभागीय अधिकारी को अंतरित करने में भूल की है, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर ने एंव अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर ने ध्यान न देने में भूल की है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 362/2012–13 अ–6 अपील में पारित आदेश दिनांक 2–4–2016 एंव अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 5 अ 6 अ/11–12 में पारित आदेश दिनांक 30–6–12 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार पनागर की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त प्रदान करें तथा स्थल की जांच कराते हुये पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर